न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024 / 600
मुकदमा नम्बर 199 / 2024 दर्ज दिनांक– 30.12.2024

मुन्नी कंवर पत्नी स्व. भंवर सिंह, जाति राजपूत निवासी जाखल, तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत, श्री महेश कुमार वर्मा
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 18.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 64 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 107 रकबा 0.42, खसरा नं. 50 रकबा 2.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमकंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह की जगह मुन्नी कंवर पत्नी स्व. भंवर सिंह दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ. / 25 / 8754 दिनांक 15.07.2025 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक / भू.अ. / 25 / 8754 दिनांक 15.07.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खाता सं. नया 64 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 107 रकबा 0.42, खसरा नं. 50

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

रकबा 2.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.54 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रेमकंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह की जगह मुन्नी कंवर पत्नी स्व. भंवर सिंह दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8754 दिनांक 15.07.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनूं